रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 63] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 1983/फाल्गुन 4, 1904
No. 63] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 1983/PHALGUNA 4, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1983

सं. 28/83-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 97(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 200/82-सीमा-शुल्क [सा. का. नि. 537(अ)], तारीख, 25 अगस्त, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची

लैपरोस्कोप यूनिट और उसके सहायक (डिम्बवाहिनी अन्तरोध के लिए) :

1. 12 ± 1 मि. मी. लैपरोस्कोप (एकल छेदन) ।
2. फलोपरिंग—एक छेदन साधित्र (दो रिंगों के लिए) और प्रक्रिया अनुदेश मैनुअल किट जिसमें गाइड और लोडर और सफाई ब्रुश हो ।
3. 12 1 मि. मी. ट्रोकर (जिसमें पिस्टन टाइप भी है) और स्लीव के लिए फालतू वाशर तथा कैनुले और सफाई ब्रुश ।
4. फाइबर आप्टिक लाइट केबल ।
5. बल्ब तथा फ्यूज लैम्प, फाइबर आप्टिक लाइट केबल/लैपरोस्कोप के लिए एडाप्टर ।
6. कार्बन डाइआक्साइड (CO_2) सिलिण्डर जिसके साथ न्यूमो-पैरीटोन्यूम साधित्र हो ।
7. प्रकाश स्रोत ।
8. गैस ट्यूबिंग के साथ गैस इसफलेटर के लिए मशीन (अतिरिक्त कार्बन डाइआक्साइड) (CO_2) (होसपाइप और गाज) ।
9. वोरिस सुई (4″ और 5½″) ।
10. सहायकों सहित लघु प्रकाश स्रोत जिसमें निम्नलिखित होंगे :—
    (क) पुनः चार्ज करने योग्य 6 वोल्ट बैटरी ।
    (ख) ए सी बैटरी चार्जर ।
    (ग) 220 वोल्ट का पावर सप्लायर ।
    (घ) इंटरकनेक्शन एसेम्बली ।
    (ङ) परिवर्तक (कन्वर्टर) ।
11. फैलोप रिंग ।

टिप्पणी .—(1) मद सं. 6, 7 और 8 को पृथक्तः या द्वैत नियंत्रण समुच्चय के रूप में सम्मिलित करके आयात किया जा सकता है ।

(2) मद सं. 1 और 2 पृथक् या सम्मिलित हो सकती है/आयात की जा सकती सकेगी । जब वे सम्मिलित हों तब उन्हें लैपरोकेटर कहा जाएगा ।''

[फा. सं. 460/177/82-सी. शु. 5]
ए. के. छाबड़ा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 1983

NO. 28/83-CUSTOMS

G.S.R. 97(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 200/82-Customs, [G.S.R. 537 (E)] dated the 25th August, 1982, namely :—

For the Schedule annexed to the said notification, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE

Laparoscope Unit and its Accessories (For Tubal Occlusion):

1. $\pm$12 1 mm Laparoscope (Single incision).
2. Falope Ring—applicator single incision (for two rings) and procedure instruction manual, kit containing guide and loader and cleaning brush.
3. 12$\pm$1mm Trocar (including piston type) with spare washers for sleeve and canulae and cleaning brush.
4. Fibre Optic Light Cable.
5. Bulbs, fuse lamps. Adapter for Fibre Optic Light Cable| Laparoscope.
6. Carbon-di-oxide (CO_2) cylinder with pneumoperitoneum apparatus.
7. Light Source.
8. Machine for Gas Insufflator with Gas tubing (Spare Carbondioxide) (CO_2) (Hose Pipe and a Guage).
9. Verres Needle (4" and 5-1/2").
10. Minilight source with accessories consisting of:—
    (a) 6 volts rechargeable battery.
    (b) AC battery charger.
    (c) AC power supplier 220 volts.
    (d) Inter-connection assembly.
    (e) Convertor.
11. Falope Rings.

Notes :

(1) Item Nos. 6, 7 and 8 may be imported separately or in combination as dual control assembly.

(2) Item Nos. 1 and 2 may be separate or in combination. When in Combination, it is called laparocator."

[F. No. 460/177/82-Cus. V]
A. K. CHABRA, Dy Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983